	कोत्र संस्था प्रधानसी संस्था संसर्भ
वंजीकृत बाक द्वारा	
नवीन ओखला औद्योगिक विकास पाधिकर	ण (नीएडा) गीतमबुद्धनगर
(मामधित्र-स्वीकृति पत्र)	18-4-
अवन क्रिमंच की प्लाट को W-14C	अं अध्यक्षे प्रस्तावितः कृति । विद्यानितः व
से भी प्रभावित (एफ्डेक्टेड) नहीं माना जाएगा।	
3. भवन मानवित्र किस प्रयोजन हेत् स्वीकृत कराया गया है	कोवल उसी प्रयोग में लागा जायेगा।
<ul> <li>यदि अविष्य में विकास कार्य हेत् कोई विकास व्यय मांगा देय होगा।</li> </ul>	जायेगा तो वह किसी किया आपरि को
<ol> <li>बरवाने व किक्कियाँ इस तरह से लगाये जायेनों कि जब का भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (पोलेक्टैड) व हो।</li> </ol>	ह सुले तो उसको पहले किसी सरकारी
. किजली की लाईन से पाँच पहुर को अन्वर कोई किलांच का	र्यं न तित्या जायेगा।
. आवटी द्वारा भवन सामग्री भुरताख को सामने रखने से सड़क	पर वालावाल अवरुद्ध नहीं होना सावितः
. रवीकृत मानदियों का एक सेट किर्माण स्थल पर रखना होगा की जा सके तथा किर्माण कार्य स्वीकृत मानदियों के स्वेसी किएमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आवंदी तहस्वाने का तहसाने का भवन प्रकोच्च विभाग मीएडा द्वारा किरीक्षण करण शुरू करेगा अन्यथा स्वीकृत मानदित्र स्वतः निरस्त माना उ	ताकि उसकी भीके पर कभी भी जॉब फिकोशन भीएवा भवन नियमावसी के किमींग कार्य पूरा करने के उपरानत

आंवरी मेजेनाइन तल,अन्य तल का स्वीवृत मानवित्र को अनुसार ही निर्माण करावेगा अन्यापा

10. सहक पर अथवा तैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये आयेगें। यह कार्य अपनी ही भूमि

खीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।